

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3168

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला
उत्तर

कार्बन उत्सर्जन को कम करना

3168. श्री बलराम नाइक पोरिका:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमान-पत्तनों और विमान कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) को अपनाए जाने, हरित ऊर्जा का उपयोग किए जाने, सीओआरएसआईए का कार्यान्वयन किए जाने और विमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन किए जाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ख) एसएएफ सम्मिश्रण लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने वाले विमानपत्तनों की संख्या कितनी है और सीओआरएसआईए के अनुपालन के लिए योजनाएं क्या हैं;

(ग) भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप विमानन क्षेत्र में निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्रगति की निगरानी और कार्बन फुटप्रिंट मानचित्रण और विमानपत्तन के कार्बन प्रत्यायन जैसी किसी भी कमी को दूर करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (घ) : अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार-आधारित उपाय के रूप में अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन योजना (सीओआरएसआईए) को अपनाया है। भारत आईसीएओ का सदस्य देश होने के नाते, वर्ष 2027 से सीओआरएसआईए के अनिवार्य चरण का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। सीओआरएसआईए योजना के तहत, एयरलाइनों को वर्ष 2019 की निर्धारित बेसलाइन से ऊपर अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करना होता है। सीओआरएसआईए योजना केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लागू है।

सरकार ने शुरूआत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पारंपरिक विमानन ईंधन में संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) के सम्मिश्रण हेतु वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% और वर्ष 2030 तक 5% के सांकेतिक लक्ष्यों को अनुमोदन प्रदान किया है। 41वीं आईसीएओ सभा ने यूएनएफसीसीसी पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के समर्थन में वर्ष 2050 तक अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र के लिए निवल-शून्य (नेट-ज़ीरो) कार्बन उत्सर्जन का एक दीर्घकालिक वैश्विक महत्वाकांक्षी लक्ष्य (एलटीएजी) अपनाया है। भारत वर्ष 2070 तक निवल-शून्य (नेट ज़ीरो) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुसूचित प्रचालन वाले सभी प्रचालनरत हवाईअड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन तटस्थता और निवल शून्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाईअड्डों के कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग तंत्र का मानकीकरण करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञान साझा करने के लिए सत्र आयोजित किए हैं। वर्तमान में, देश में 4 हवाईअड्डे, नामतः दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद कार्बन तटस्थ हो चुके हैं तथा इन्हें, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) का कार्बन प्रत्यायन स्तर 5 प्राप्त हो चुका है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सीएआर खंड 10, शृंखला ग, भाग-1 (सीओआरएसआईए) के तहत विस्तृत मार्गदर्शन जारी किया है, जिसमें एयरलाइनों के लिए मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, सत्यापन और कार्बन ऑफसेटिंग संबंधी अपेक्षाएँ शामिल हैं।
